भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1314
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

मतदाताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र

1314. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका :
श्री के. मुरलीधरन :
श्री बैन्नी बेहनन :
डॉ. मोहम्मद जावेद :
श्री एंटो एन्टोनी :
एडवोकेट अदूर प्रकाश :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत निर्वाचन आयोग ने उन मतदाताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है जिनके नाम आधार न जोडे जाने के कारण मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार को न जोड़े जाने के कारण नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के परिणामों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या निर्वाचन आयोग ने उस मतदाता के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है जिसका आधार मतदाता पहचान पत्र से जुड़ा हुआ है और वे अपनी सहमति से इसे हटाना चाहते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या भारत निर्वाचन आयोग को मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

****